

राज्य परियोजना संचालनालय, विश्व बैंक परियोजना
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
भूतल, मलपुडा भवन, भोपाल

ई-मेल : spdmpwb@gmail.com, (फोन नं. - 0755-2928814)

क्रमांक 3042/ वि. वै.परि/2024
प्रति,

दिनांक 29/11/2024


1. कुल सचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में NIRF के सम्बन्ध में।

-0-

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा NIRF हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। जिस महाविद्यालय का NIRF में रजिस्ट्रेशन नहीं है उन महाविद्यालयों को अगले वर्ष NOC प्रदान नहीं की जायेगी।

अतः समस्त कुल सचिव एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुरोध है कि, सभी अशासकीय महाविद्यालयों को NIRF में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।



(डॉ. उपा के तायर)

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय बैंक प्रकोष्ठ, म.प्र.

क्रमांक 3043/ वि. वै.परि/2024
प्रतिलिपि :-

दिनांक 29/11/2024

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथे।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश की ओर सूचनाथे।
3. निज सहायक, कुलपति, समस्त अशासकीय/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथे।


सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय बैंक प्रकोष्ठ, म.प्र.

राज्य परियोजना संचालनालय, विश्व बैंक परियोजना

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

भूतल विंग (ख), मतपुडा भवन, भोपाल पिनकोड 462004

ई-मेल : spdnaac@gmail.com (फोन नं.- 0755-2928814)

क्रमांक 3059/वि.वै.परि/2024

दिनांक 02/11/2024

प्रति,

1. कुल मंचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

DR Acool
22/11/24

विषय :- प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में NIRF के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस आधारेण का पत्र क्र. 3042/वि.वै.परि/2024 दिनांक 29/11/24

उपरोक्त विषयांतरगत लेख है कि, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त अशासकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा NIRF हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है।

- इस हेतु पात्रता निम्नानुसार है :
 - (i) ऐसे महाविद्यालय जो पूर्णकालिक यूजी या पीजी कार्यक्रमों में छात्रों के कम से कम तीन वर्ष का स्नातक किया है।
 - (ii) यूजी कार्यक्रमों की अवधि कम से कम तीन वर्ष है, और पीजी कार्यक्रमों की अवधि कम से कम दो वर्ष है।
 - (iii) वे पोलीटेक्निक या शिक्षक शिक्षा संस्थान नहीं हैं।
- NIRF में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 3 दिसम्बर 2024 है अतः सभी पात्रता रखने वाले महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें।
- रजिस्ट्रेशन न करने की स्थिति में आगामी मत्र के लिए NOC नहीं दिया जायेगा।
- रजिस्ट्रेशन उपरान्त सभी महाविद्यालय इस कार्यालय की ईमेल spdnaac@gmail.com पर सूचित करना सुनिश्चित करें।

उच्च शिक्षा
विभाग, मध्यप्रदेश

Kumar
(डॉ. उपा के नायर)

सदस्य मंचिव,
राज्य स्तरीय बैंक प्रकोष्ठ, म.प्र.

क्रमांक 3060/वि.वै.परि/2024

दिनांक 02/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज महायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश की ओर सूचना के लिए।

Kumar
सदस्य मंचिव,